बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>संकल्प</u>

पटना, दिनांक............................/

संचिका सं0–03/आ01–64/2026........................./ श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी एवं वेन, नालंदा सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता–नागेन्द्र कुमार सिंह साकिन–मवारकपुर, पोस्ट–तुलसीगढ़, थाना–चण्डी, नालंदा का अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग किये जाने के संदर्भ में दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–019/2026 दिनांक–13.02.2026 के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम–9 (1)(ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती पुष्पा कुमारी को विभागीय संकल्प सं0–394551 दिनांक–09. 04.2026 द्वारा निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों की वृहत जाँच हेतु सरकार ने संकल्प लिया है कि श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, नालंदा (बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग का उच्चतर प्रभार प्राप्त) संप्रति निलंबित को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 30.04.2026 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाय।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शाहजहाँ, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी निर्धारित तीन माह के अंदर विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर विहित प्रपत्र में अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प अनुबंध, आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका की प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक : 03/आ01–64/2026...1/419053 पटना, दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0 कोषांग), वित विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री शाहजहाँ, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी एवं वेन, नालंदा सम्प्रति–सेवानिवृत पत्राचार का पता–पति–श्री अनिल कुमार, गाँव–जगदीशपुर, जिला–वैशाली, थाना–वैशाली,/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 18-05-2026 13:34:28

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

परिशिष्ट–1

आरोप पत्र

(1) प्रथम भाग– सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाऍ

1. नाम	:–	श्रीमती पुष्पा कुमारी
2. पदनाम	:–	तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी, अतिरिक्त प्रभार चण्डी नालंदा सम्प्रति–सेवानिवृत।
3. जन्म तिथि	:–	06.04.1966
4. सेवानिवृति की तिथि	:–	30.04.2026
5. सेवा/संवर्ग का नाम	:–	बिहार शिक्षा सेवा
6. पद समूह एवं विभाग	:–	"ख" शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:–	236/26
8. वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे/वेतन स्तर	:–	5400/लेवल–09
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–	2026, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी, अतिरिक्त प्रभार चण्डी, नालंदा
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत कालबाधित होने की तिथि	:–	लागू नहीं

ह0/–

निदेशक (प्रशासन)

(2) द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

01. कदाचार के इरादे से आपके द्वारा सरकारी कार्यो को लंबित रखा जाता है।
02. अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी–श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता–श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, साकिन–मुबारकपुर, पोस्ट–तुलसीगढ़, थाना–चण्डी, नालंदा का अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भुगतान हेतु रिश्वत की मांग किया गया है।
03. आपके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, जिस कारण निगरानी थाना काण्ड संख्या–019/2026 में आपको मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। आपके द्वारा मनमाने एवं स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्य किया गया है।
04. आप बिना सूचना जिला कार्यालय/प्रखंड कार्यालय से अनुपस्थित रहते है। आपके द्वारा सरकारी कार्यो में लापरवाही एवं शिथिलिता बरती गयी है।
05. आपका उपर्युक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में सरकारी सेवकों के विहित आचरण के विरूद्ध है।

ह0/–

निदेशक (प्रशासन)

(3) तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों के अभिकथन

01 कदाचार के इरादे से आपके द्वारा सरकारी कार्यो को लंबित रखा जाता है। यह पाया गया है कि ऐसे ही एक मामले में आपके विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में की गयी शिकायत पर कार्रवाई भी हुई है।

02 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के प्रेस विज्ञप्ति संख्या–33/2026 दिनांक 16.03.2026 के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें श्रीमती पुष्पा कुमारी कार्यक्रम

पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी नालंदा के द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, साकिन–मुबारकपुर, पोस्ट–तुलसीगढ़, थाना–चण्डी, नालंदा का अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की गई एवं रिश्वत की राशि स्वंय ग्रहण करने के बजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र, चण्डी, नालंदा के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी को देने के लिए कहा गया, जिसके आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना कांड संख्या–019/2026 दिनांक 13.02.2026 में अप्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र, चण्डी, नालंदा को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया।

03. उपर्युक्त प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, मनमाने एवं लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया, साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी के द्वारा मांगी गयी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया।

04. निगरानी थाना कांड संख्या–019/2026 की प्राथमिकी अभियुक्त श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी, नालंदा दिनांक 16.03.2026 से गिरफ्तारी के भय से बिना सूचना जिला/प्रखंड कार्यालय से अनुपस्थित पायी गयी। दुरभाष से भी सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालन्दा के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026 एवं पत्रांक 352 दिनांक 20.03.2026 से कारण पृच्छा की गई, परन्तु श्रीमती कुमारी द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–553 दिनांक–27.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती पुष्पा कुमारी द्वारा अपने निलंबन मुख्यालय में योगदान समर्पित नहीं किया गया है। श्रीमती पुष्पा कुमारी द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय, वेन में मात्र दो कमरे हीं बताया गया, जिसके कारण मुख्यालय की रैंकिंग में उक्त विद्यालय को डी० श्रेणी (Below–40%) प्राप्त हुआ, जो जिला का एक मात्र विद्यालय है। लगातार अनुश्रवण के बाद भी सुधार नहीं किया गया।

05. आपके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल आचरण किया गया है।

ह0/–
निदेशक (प्रशासन)

(4) चतुर्थ भाग– (क) दस्तावेजों की सूची

क्र0	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
01	जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा के पत्रांक–713 दिनांक–30.03.2026	08
02	जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा के पत्रांक–712 दिनांक–30.03.2026	06

(ख) साक्षियों की सूची

1. श्री आनन्द विजय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।
2. श्री आनन्द शंकर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालंदा।
3. श्री राज कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना।
4. श्री मोहन कुमार पाण्डेय, पी0टी0सी0, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)।
Date: 18-05-2026 13:33:53

115

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।

पत्रांक......712......./

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना नालन्दा।

सेवा में,

निदेशक,(प्राथमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग,
बिहार पटना।

बिहारशरीफ, दिनांक ..30../..03../2026

विषयः— श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी—सह—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी, के विरूद्व निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दर्ज किय जाने के संबंध में।

प्रसंगः— भवदीय पत्रांक 380 दिनांक 23.03.2026 एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना का पत्रांक 362/अप0शा0 दिनांक 05.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना का पत्रांक 362/अप0शा0 दिनांक 05.03.2026 द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चंडी नालंदा के विरूद्व निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दर्ज है। उक्त के संबंध में निगरानी विभाग द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी से संबंधित कतिपय मांगी गयी सूचनाऐं निम्नवत है:—

01. सेवा में योगदान की तिथि :—16.10.1990
02. जन्म तिथि :—06.04.1966
03. वर्तमान पता एवं स्थायी पता :—पति—श्री अनिल कुमार, ग्राम—जगदीशपुर, जिला—वैशाली, थाना—वैशाली, बिहार।
04. सेवा संम्पुष्टि की तिथि :— 07.11.2014
05. कहाँ—कहाँ पदस्थापित रहें है, उसकी विवरणीः—
   :—दिनांक 16.10.1990 से 10.07.2004 तक राजकीय बुनियादी विद्यालय वालुकाराम, वैशाली।
   :—दिनांक 11.07.2004 से 06.11.2012 तक राजकीय बुनियादी विद्यालय खरौनाडीह, मुजफ्फरपुर।
   :—दिनांक 07.11.2012 से 07.07.2014 तक राजकीय बुनियादी विद्यालय केरूस छपरा।
   :—दिनांक 08.07.2014 से 05.07.2019 तक राजकीय बुनियादी विद्यालय बिठौली, वैशाली।
   :—दिनांक 08.07.2019 से 10.04.2021 तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी, नालंदा।
   :—दिनांक 11.04.2021 से 24.05.2022 तक राजकीय बुनियादी विद्यालय मंझौलिया दरभंगा
   :—दिनांक 27.05.2022 से अभीतक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार, चण्डी एवं वेन नालंदा।
06. इनके विरूद्व अपराधिक मामला दर्ज है तो उसकी अद्यतन विवरणीः—निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 दर्ज है।
07. इनके विरूद्व की गई अनुशासनिक कार्रवाई की अद्यतन विवरणीः— निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 की प्राथमिक अभ्युक्त के संदर्भ में प्रपत्र (क) संलग्न।

अतः उक्त पदाधिकारी के संबंध में मांगी गयी वांछित सूचना भवदीय सेवा में आवश्यक कार्यार्थ समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
28/03/26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, नालन्दा।

14)

~ —नी नालन्दा

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।

प्रेषक, पत्रांक....................../

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना नालन्दा।

सेवा में,

निदेशक,(प्रशासन)
शिक्षा विभाग,
बिहार पटना।

विहारशरीफ, दिनांक ..../........../2026

विषयः— श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी—सह—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी, एवं वेन नालंदा के विरूद्व कार्यवाहीं हेतु विहित प्रपत्र में साक्ष्य एवं साक्ष्यों के विवरण के साथ आरोप पत्र गठित करने के संबंध में।

प्रसंगः— निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 एवं निगरानी थाना काण्ड के प्रेस विज्ञप्ति संख्या—33/2026 दिनांक 16.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि निगरानी अन्वेष्ण ब्यूरो विहार पटना के मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा को 17000 (सतरह हजार रू0) मात्र रिश्वत लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चण्डी नालंदा के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया।

अंकनीय है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता—नागेन्द्र कुमार सिंह साकिन—मवारकपुर पोस्ट—तुलसीगढ़ थाना—चण्डी नालंदा द्वारा निगरानी अन्वेपण ब्यूरो विहार पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया था कि आरोपी श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चण्डी नालंदा के द्वारा अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्वि भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की गयी। इस मामले में श्रीमती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है एवं इनके द्वारा रिश्वत की राशि की स्वंय ग्रहण करने के वजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, को देने को कहा गया, जिसके उपरान्त अप्राथमिकी अभियुक्त श्री वर्मा को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026 एवं पत्रांक 352 दिनांक 20.03.2026 के द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई जो अद्यतन अप्राप्त है। साथ हीं साथ जिला/प्रखंड कार्यालय से विना सूचना अनुपस्थित है।जिसके कारण प्रखंड का कार्य वाधित हो रहा है।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी—सह—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी, एवं वेन नालंदा के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए, इस पत्र के साथ आरोप पत्र गठित कर भवदीय सेवा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

उक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
28/03/26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, नालन्दा।

ज्ञापांक..........713..........विहारशरीफ दिनांक 30/03/26

प्रतिलिपि—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, विहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/03/26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

Scanned with OKEN Scanner

(13)

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा

परिशिष्ट–1

आरोप–पत्र

(1)प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ:–

01. नाम	:– श्रीमती पुष्पा कुमारी
02. पदनाम	:–कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी, अतिरिक्त प्रभार चण्डी नालंदा
03. जन्म तिथि	:–06.04.1966
04. सेवानिवृति तिथि	:–30.04.2026
05. सेवा/संवर्ग का नाम	:–बिहार शिक्षा सेवा
06. पद समूह एवं विभाग	:– समूह–ख, शिक्षा विभाग
07. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:–लेवल–09
08. आरोप पत्र एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–2026, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी नालंदा
09. बिहार पेंशन नियमावली के नियम'43(बी0) के तहत कालबाधित होने की तिथि	:– लागू नहीं

28/03/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, नालन्दा।

Scanned with OKEN Scanner

12)

(2)द्वितीय भाग—अवचार या कदाचार के लांछनों का सारः—

01\. निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 की प्राथमिकी अभ्युक्त श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी—सह—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी नालंदा द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार का अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु रिश्वत की मांग की गई एवं रिश्वत की राशि स्वंय ग्रहण करने के बजाय, राशि श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा, को लेने कहा गया। जिसके उपरान्त अप्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज. कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा, को 17000 (सतरह हजार रू0) मात्र प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी, स्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी नालंदा के कार्यालय कक्ष से दिनांक 16.03.2026 को निगरानी विभाग के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

02\. बिना सूचना जिला कार्यालय/प्रखंड कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाना।

03\. विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल विद्यालय की स्थापना के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जिनमें श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रभार वेन के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय वेन में मात्र दो कमरे हीं बताया गया। जिसके कारण मुख्यालय की रैकिंग में उक्त विद्यालय को डी0 श्रेणी (Below-40%) प्राप्त हुआ।

04\. भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 का मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त होना, मनमाने एवं स्वेच्छाचारिता पूर्वक कार्य करना।

05\. सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल कार्य करना।

28/03/26.

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, नालन्दा।

28/03/26

Scanned with OKEN Scanner

(3) तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों के अभिकथन :–

01. निगरानी थाना काण्ड के प्रेस विज्ञप्ति संख्या–33/2026 दिनांक 16.03.2026 के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी नालंदा के द्वारा परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता–श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, साकिन–मुबारकपुर, पोस्ट–तुलसीगढ थाना–चण्डी नालंदा का अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की गई एवं रिश्वत की राशि स्वय ग्रहण करने के बजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी को देने के लिए कहा गया। जिसके आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना काण्ड संख्या–019/2026 दिनांक 13.02.2026 में अप्राथमिकी अभ्युक्त श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया।

02. निगरानी थाना काण्ड संख्या–019/2026 की प्राथमिकी अभ्युक्त श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी नालंदा दिनांक 16.03.2026 से गिरफ्तारी के भय से बिना सूचना जिला/प्रखंड कार्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पायी गयी। दुरभाष से भी सम्पर्क नहीं हो पा रहा है।

03. इस कार्यालय के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026 एवं पत्रांक 352 दिनांक 20.03.2026 से कारण पृच्छा की गई। परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया गया।

04. श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रभार वेन के द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय वेन में मात्र दो कमरे हीं बताया गया। जिसके कारण मुख्यालय की रैकिंग में उक्त विद्यालय को डी0 श्रेणी (Below-40%) प्राप्त हुआ। जो जिला का एक मात्र विद्यालय है। लगातार अनुश्रवण के बाद भी सुधार नहीं किया गया।

05. इनके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, मनमाने एवं लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया, साथ हीं साथ वरीय पदाधिकारी, के द्वारा मांगी गयी स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया।

28/03/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, नालन्दा।

25/03/26

Scanned with OKEN Scanner

101

(4)चतुर्थ भाग–(क) दस्तावेजों की सूची :–

क्रमांक	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
01.	निगरानी थाना काण्ड के प्रेस विज्ञप्ति संख्या–33/2026 दिनांक 16.03.2026	1 पृष्ट
02.	निगरानी थाना काण्ड संख्या–019/2026 दिनांक 13.02.2026 का प्राथमिकी की प्रति।	01 पृष्ट
03.	पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग का ज्ञापांक 362 दिनांक 05.03.2026	01 पृष्ट
04.	इस कार्यालय के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026 एवं पत्रांक 352 दिनांक 20.03.2026 से कारण पृच्छा की प्रति।	02 पृष्ट
05.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान नालंदा का ज्ञापांक SSA/1072 दिनांक 17.03.2026	01 पृष्ट

28/03/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, नालन्दा।

28/3/26

Scanned with OKEN Scanner

18

(17)

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।

पत्रांक 713 /

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना नालन्दा।

सेवा में,

निदेशक,(प्रशासन)
शिक्षा विभाग,
बिहार पटना।

बिहारशरीफ, दिनांक 30/03/2026

विषयः— श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी—सह—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी, एवं वेन नालंदा के विरूद्व कार्यवाहीं हेतु विहित प्रपत्र में साक्ष्य एवं साक्ष्यों के विवरण के साथ आरोप पत्र गठित करने के संबंध में।

प्रसंगः— निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 एवं निगरानी थाना काण्ड के प्रेस विज्ञप्ति संख्या—33/2026 दिनांक 16.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/2026 दिनांक 13.02.2026 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा को 17000 (सतरह हजार रू0) मात्र रिश्वत लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चण्डी नालंदा के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया।

अंकनीय है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता—नागेन्द्र कुमार सिंह साकिन—मबारकपुर पोस्ट—तुलसीगढ़ थाना—चण्डी नालंदा द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया था कि आरोपी श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चण्डी नालंदा के द्वारा अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्दि भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की गयी। इस मामले में श्रीमती कुमारी प्राथमिकी अभियुक्त है एवं इनके द्वारा रिश्वत की राशि की स्वंय ग्रहण करने के बजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, को देने को कहा गया, जिसके उपरान्त अप्राथमिकी अभियुक्त श्री वर्मा को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026 एवं पत्रांक 352 दिनांक 20.03.2026 के द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई जो अद्यतन अप्राप्त है। साथ हीं साथ जिला/प्रखंड कार्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित है।जिसके कारण प्रखंड का कार्य बाधित हो रहा है।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी—सह—प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी, एवं वेन नालंदा के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए, इस पत्र के साथ आरोप पत्र गठित कर भवदीय सेवा में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

उक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
28/03/26
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, नालन्दा।

25/3/26

निदेशक प्रशासन 2728 06 APR 2026 शिक्षा विभाग, बिहार

S.O. 3

406
8-4-26

CN. 5398857
01.04.26

दिनांक- 16 मार्च, 2026
(प्रेस विज्ञप्ति सं0-33/2026)

प्रेस विज्ञप्ति

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना

भ्रष्टाचार के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में सफलता

श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, चण्डी, जिला-नालन्दा 17,000/- रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना कांड सं0-019/26, दिनांक 13.02.2026 में **अप्राथमिकी अभियुक्त- श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र,** चण्डी, **जिला- नालन्दा** को **17,000/- (सत्रह हजार)** रूपये रिश्वत लेते हुए प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, चण्डी स्थित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया है।

परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता-नागेन्द्र प्रसाद सिंह, सा0-मुबारकपुर, पो0- तुलसीगढ़, थाना-चण्डी, जिला- नालन्दा द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि आरोपी श्रीमती पुष्पा कुमारी (जो प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, जिला-नालंदा हैं) के द्वारा अंतर वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है।

ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्ट्या आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, जिला-नालंदा के विरुद्ध अंकित कर अनुसंधानकर्त्ता **श्री अमरेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना** के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।

प्राथमिकी अभियुक्त श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, जिला-नालंदा द्वारा रिश्वत की राशि को स्वयं ग्रहण करने के बजाय राशि को मनोज कुमार वर्मा को देने के लिए कहा गया, जिस आलोक में **अप्राथमिकी अभियुक्त- श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, चण्डी, जिला- नालन्दा** को 17,000/- (सत्रह हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, चण्डी स्थित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में उपस्थापित किया जायेगा। अग्रतर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner

16.

पत्रांक–एस०आर०–019/2026 निग०–.....368...../अप०शा०

बिहार सरकार

निगरानी विभाग,

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,

Email Id:- spvigilance02patna@gmail.com

Phone No-0612-2215237

गोपनीय

अत्यावश्यक

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,

बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,

शिक्षा विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 05/03/26

प्रसंगः– निगरानी थाना कांड सं०–019/2026, दिनांक–13.02.2026, धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018).

विषयः– श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चंडी, जिला नालन्दा के विरूद्ध कांड दर्ज किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कांड के संबंध में प्राथमिकी की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार, पिता श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम मुबारकपुर, पो0–तुलसीगढ़, थाना चण्डी, जिला नालन्दा के परिवाद पत्र दिनांक–28.01.26 एवं सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक–13.02.26 के आधार पर आरोपी श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चंडी, जिला नालन्दा के विरूद्ध, परिवादी प्रखंड शिक्षक का अंतर वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का कुल बकाया लगभग राशि–7,86,571/रूपया का भुगतान करने के एवज में 18,000/–रूपया रिश्वत मांगने के आरोप में निगरानी थाना कांड सं०–019/2026, दिनांक–13.02.2026, धारा–7(a) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ट्रैप की निर्धारित तिथि दिनांक–13.02.2026 को आरोपी के घटना स्थल पर उपस्थित नही रहने के कारण ट्रैप की कार्रवाई नही की जा सकी।

यह मात्र कांड दर्ज किये जाने एवं गिरफ्तारी की प्रारंभिक सूचना है। प्रशासनिक रूप से पाये गये कदाचार के संबंध में अनुसंधानोपरांत अतिरिक्त साक्ष्य के साथ अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्त श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, चंडी, जिला नालन्दा से संबंधित कृपया निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाय :-

1. इनके सेवा में योगदान की तिथि।
2. इनकी जन्म तिथि।
3. इनका वर्तमान एवं स्थायी पता।
4. इनकी सेवा सम्पुष्टि की तिथि
5. ये कहाँ-कहाँ पदस्थापित रहें है, उसकी विवरणी।
6. इनके विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज हो तो उसकी अद्यतन विवरणी।
7. इनके विरुद्ध की गई अनुशांसनिक कार्रवाई की अद्यतन विवरणी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

पुलिस अधीक्षक।

अनुलग्नकः- यथोपरि।

ज्ञापांक-....968..../अप0शा0 दिनांक- 05/03/26

प्रतिलिपिः- 1. अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

3. पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, निगरानी थाना (विभागीय कार्यवाही शाखा) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

05.3.2026

पुलिस अधीक्षक।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।

पत्रांक 1848 /

अत्यावश्यक

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,

श्रीमती पुष्पा कुमारी,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी नालंदा।

बिहारशरीफ, दिनांक 17/03/2026

विषयः— स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंगः— **निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के प्रेस विज्ञप्ति संख्या—33/2026 दिनांक 16.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना काण्ड संख्या—019/26 दिनांक 13.02.2026 में अप्राथमिकी अभ्युक्त श्री मनोज कुमार वर्मा संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा को 17000 (सतरह हजार) रू0 मात्र रिश्वत लेते हुए प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी स्थित आपके कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया।

अंकनीय है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता—नागेन्द्र कुमार सिंह साकिन—मबारकपुर पोस्ट—तुलसीगढ़ थाना—चण्डी नालंदा द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया था कि आरोपी श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चण्डी नालंदा के द्वारा अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भुगतान करने के ऐवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। इस मामले में आप प्राथमिकी अभ्युक्त है एवं आपके द्वारा रिश्वत की राशि की स्वंय ग्रहण करने के बजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, को देने को कहा गया, जिसके उपरान्त आप प्राथमिकी अभ्युक्त श्री वर्मा को आपके कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त के आलोक में आपसे स्पटीकरण/जानकारी प्राप्त करने हेतु दुरभाष पर एवं अन्य स्त्रोतों से सम्पर्क करने की कोशिश की जा रही है, परन्तु आपका मोबाईल स्वीच ऑफ है एवं आप जिला/प्रखंड कार्यालय से अनुपस्थित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक—यथोपरि।

विश्वासभाजन
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक 1848 बिहारशरीफ दिनांक 17/03/2026

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी, नालंदा की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि—निदेशक, (प्रा0शि0) बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।

पत्रांक.....1898...../
354

अत्यावश्यक

प्रेषक,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,
श्रीमती पुष्पा कुमारी,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी नालंदा।

बिहारशरीफ, दिनांक 20 / 03 / 2026

विषयः– **स्पष्टीकरण के संबंध में।**

प्रसंगः– **निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के प्रेस विज्ञप्ति संख्या–33 / 2026 दिनांक 16.03.2026 इस कार्यालय के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के मुख्यालय टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना काण्ड संख्या–019 / 26 दिनांक 13.02.2026 में अप्राथमिकी अभ्युक्त श्री मनोज कुमार वर्मा संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी नालंदा को 17000 (सतरह हजार) रू0 मात्र रिश्वत लेते हुए प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी स्थित आपके कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया।

अंकनीय है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता–नागेन्द्र कुमार सिंह साकिन–मबारकपुर पोस्ट–तुलसीगढ़ थाना–चण्डी नालंदा द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया था कि आरोपी श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चण्डी नालंदा के द्वारा अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भुगतान करने के ऐवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। इस मामले में आप प्राथमिकी अभ्युक्त है एवं आपके द्वारा रिश्वत की राशि की स्वंय ग्रहण करने के बजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, को देने को कहा गया, जिसके उपरान्त अप्राथमिकी अभ्युक्त श्री वर्मा को आपके कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 1848 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा आपसे स्पटीकरण की पृच्छा की गई थी। परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, एवं आप बिना सूचना अनुपस्थित है। जो आपके अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

अतः पुनः स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

20/3/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

20/3/26

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक-09.02.2026 को परिवादी एवं आरोपी के बीच में हुई रिश्वत से संबंधित वार्तालाप की ऑडियो रिकॉर्डिंग का लिप्यांतर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर तैयार किया गया।

ऑडियो रिकार्ड

परिवादी – बोल रहे थे न मैडम .... ओ तो फिर से बनाना पड़ेगा। उ तो मनोज जी बात होल हई, उ बोले है अठारह

आरोपी – हूँ।

परिवादी – मैडम कुछ कम नहीं होतई

आरोपी – आप दिये महीना दिन से इहे बात

परिवादी – जी ना अठारह बोलतई कुछ मजबूरी हई घर में घटना भइल हई अठारह बोलतही है अठारह हजार में कुछ कम कर देती ने त अपने के इच्छा होत

आरोपी – ये कुलदीप कुलदीप

परिवादी – कुलदीप न हैं

आरोपी – .रजनीश ये रजनीश बुला के लाइए एक साईज में।

परिवादी – अभी न हैं। अभी न

आरोपी – इसी लिये आप लोग को कुछ बहुत बुरा लगता है। एक महीना से ए ही बात बोलते हैं।

परिवादी – न दे देम। जतना जरी मनी कम करना है कर देती। हम दे देंगे।

आरोपी – दे न दिजिए अभी में आपको जो बुझाता है। कम कर के।

परिवादी – जी ठीक है।

आरोपी का नाम – श्रीमती पुष्पा कुमारी
परिवादी का नाम – श्री धर्मेन्द्र कुमार

सत्यापनकर्ता

मोहन कुमार पाण्डेय

(मोहन कुमार पाण्डेय)
पी०टी०सी०,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
पटना।
दिनांक-13/02/26

Scanned with OKEN Scanner

माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

संख्या

आ० ह० प्रपत्र सं०-26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F.I.R.)

(~~दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन~~ BNSS की धारा 173 के अधीन) 00065

1. *जिला पटना *अनुमंडल — *थाना निगरानी *वर्ष 2026 *प्राथमिकी सं० 19/26 *तिथि 13.2.2026
   (Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

2. (I) *अधिनियम (Act.) भ्र० नि० अधि० 1988 (संशो० 2018) *धाराएँ (Sections) 7 (a)
   (II) *अधिनियम (Act.) .... *धाराएँ (Sections) —
   (III) *अधिनियम (Act.) — *धाराएँ (Sections) —
   (IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) —

3. (क) *अपराध की घटना .... *दिन .... *तिथि से 29.1.26 *तिथि तक 13.2.2026
   (Occurrance of offence) (Day) (Date from) (Date to)

   *समयावधि (पहर) .... *बजे से .... *बजे तक
   (Time Period) (Time from) (Time to)

   (ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि दि० 13.02.2026 समय 15:30 बजे
   (ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि दि० 13.02.2026 समय 15:30 बजे
   (घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं० 172 दि० 13.02.2026 समय 15:30 बजे

4. सूचना का प्रकार (Type of Information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral) लिखित

5. घटना स्थल-(क) थाना से दिशा एवं दूरी .... गश्त सं० ....
   (ख) *पता (Address) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, जि०- नालंदा का कार्यालय कक्ष।
   (ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम — जिला —

6. परिवादी/सूचना दाता :
   (क) नाम श्री धर्मेन्द्र कुमार
   (ख) पिता/~~पति~~ का नाम श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह
   (ग) जन्म-तिथि 25.11.1977 (घ) राष्ट्रीयता भारतीय
   (ङ) पारपत्र सं० — निर्गम तिथि — निर्गम स्थान —
   (च) पेशा सरकारी नौकरी
   (छ) पता ग्राम- मुबारकपुर, पो०- कुलसीगढ़, थाना- चण्डी, जि०- नालन्दा। Mob. No.- 913566182।

VIB/2022

Scanned with OKEN Scanner